## अध्याय-6

## स्थानीय सरकार

## ग्रण पंचायत

आज नवहट्टा पूर्वी में विभिन्न टोलों और गाँवों के लोग जमा हो रहे हैं। वे लोग अपनी टोलों के समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। गाँव के एक व्यक्ति ने अपने टोले में सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई। एक दूसरे व्यक्ति ने अपने यहाँ पेयजल सम्बन्धी समस्या को जोरदार ढंग से उठाते हुए कहा कि मेरे टोले की आबादी 300 की है जिसमें महादलितों एवं गरीब परिवार की संख्य सबसें अधिक है। फिर भी वहाँ एक ही सार्वजनिक चापाकल है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। इससे काफी कठिनाई होती है। साथ ही वह चापाकल कभी-कभी खराब हो जाता


ग्राम पंचायत के लोग आम समा करते हुए है, तब तो कठिनाई और अधिक बढ़ जाती है। इस आम सभा में मुखिया (ग्राम प्रधान) भी बैठे हुए थे। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं।

गाँव के व्यक्ति अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते, जबकि उसका उपयोग पूरा टोला करता है। जरा सोचिए सड़क हो या चापाकल, कुआँ हो या नाली ये किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं होता। गाँवों, टोलों या मुहल्लों में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी खास व्यक्ति की नहीं होती है। इनका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं। जिस कारण ऐसे चीज़ों को सार्वजनिक कहते हैं।

सार्वजनिक चीज़ों की देख-भाल कौन करेगा? ये जब खराब हो जाएगी तो कौन ठीक करवायेगा? इनकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे तो इस समस्या को कौन सुलझाएगा? चूँकि ये किसी खास व्यक्ति की नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की गई है।

## हम इस पाठ में ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची :

एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुँचा, जिसने अपना परिचय बी.एल.ओ. (Booth Level Officer) के रूप में दिया। वह मतदाता सूची (वोटरलिस्ट) में लोगों का नाम जोड़ने आया था। उसने बताया कि दो -तीन महीने बाद पंचायत का चुनाव होगा, इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह कुछ बोलती, उससे पहले ही बी.एल.ओ. ने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी (नाम एवं उम्र) मांगी।

संजनाः "आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं?"
बी एलओः "मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदांता सूची कहा जाता है।
संजना: "सबसे पहले मेरा नाम एवं उसके बाद मेरे छोटे भाई 'एतश' का नाम लिखिए।"
बी.एलओः "नही, अभी आप दोनों वोट नहीं दे सकते। क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष ही वोट दे सकते हैं।" संजना कुछ सोचने लगी तभी उसकी माताजी आ गयी। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र तथा अपनी पति का नाम एवं उम्र बतलाया। बी.एल.ओ. ने दोनों का नाम दर्ज कर लिया।

## प्रश्न:

1. संजना की बहन जिसकी उग्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गाँव में रहती है। क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा?
2. मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों है?

ग्राम पंचायत का क्षेत्र
संजना: "क्य हर गाँव में ग्राम पंचायत होती है?"
बी.एल.लो.: "नहैं, हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गाँव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7000 या उससे अधिक हो। इसलिए कहीं-कहीं कई छोटे गाँवों. को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनायी जाती है।

एक ग्राम पंचायत एक गाँव या एक से अधिक गाँवों को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में व्भिक्त होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जतता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप-मुखिया चुनते हैं जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है।

संजना: "अगर समी वार्ड सदस्य एक ही टोले/मोहल्ले के हो जाएँ, तो दूसरे मोहल्ले $\neq$ टोले के बारे में कौन ध्यान देगा?"

बी.एल.ओ.: 'नहीं ऐसा न हो इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में विभक्त (बाँट) किया जाता है।

ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। उसे पंचायत सचिव कहा जांता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिन्दुओं को एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकार्ड रखना होता है।

## आरक्षण व्यवस्था

बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था संरेकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारें यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछ्ड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ-साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें (पचास प्रतिशत) आरक्षित की गई है।

## प्रश्नः

1. आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें।
2. पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में क्यों बाँटा जाता है?
3. मुखिया का चुनाव कैसे होता है?

ग्राम पंचायत के कार्य :
ग्राम पंचायत नवहट्टां की बैठक हो रही थी। पंचायत के काम के बारे में चर्चा करने के लिए मुखिया एवं सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे। एक सदस्य ने कहा कि उसके वार्ड में 150 रोज़िगार के कार्ड दिए जा चुके हैं, परंतु उन्हें कोई काम करने का मौका नहीं मिला। यदि रोज़गार का प्रबंध नहीं किया गया, तो पलायन की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। सभी ने मिलकर तय किया कि तालाब के काम पर इस वार्ड के लोगों को पहले रखां जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक में विकास के काम पर चर्चा, समस्याएँ सुलझाना और व्यवस्था 'बनाने के निर्णय लिए जाते हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किये जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख निम्न है :

- ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना।
- कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास) पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बांजार एवं मेला इत्यादि का समुचित प्रबंध करना।
- स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं में
 मदद करना।

सड़क निर्माण


ग्राम पंचायत के आय के साधन :
ग्राम पंचायत के आय के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक कर के रूप में, जो वह खुद लगाती है और दूसरा अनुदान के रूप में, जो सरकार द्वारा उसे मिलता है। उदाहरण के लिए पंचायत अपने क्षेत्र की दुकानदारों से कर वसूल करती है। यह इसका खुद का स्रोत है और पंचायत के किसी भी जरूरी काम पर इसे खर्च किया जा सकता है। ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम के लिए या आवास योजना के लिए पंचायत को सरकार द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं। यह पैसे उसी योजना के अनुसार खर्च किए जा सकते हैं।


हमारे देश में छह लाख से भी अधिक गाँव हैं। उनकी समस्याओं को सुलझान्रा आसान काम नहीं है। गाँव में भी बेहतर व्यवस्था के लिए एक प्रशासन होता है। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए।

## पुलिस थाने के कार्य :

रामजी, राजपुर गाँव के रहने वाले हैं। रामजी अपने खेत में एक कमरा बनवाना चाहता था। चहारदीवारी बनवाने के लिए कामगारों को बुलाकर गड्ढा खोदवाने लगा। तभी प्रकाश मोहन ने आकर उसे मना किया कि आप अपनी ही जमीन में चहारदीवारी बनाओ। रामजी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह मजदूरों कों आगे काम बढ़ाने को बोला। प्रकाश इस पर नाराज होकर झगड़ा करने पर उतारू हो गया। रामजी पूर्व में ग्राम पंचायत का मुखिया था, अतः उसने अपने धन-बल के द्वारा जबरदस्ती चहारदीवारी का निर्माण करवा लिया और प्रकाश के साथ मारपीट भी की।

प्रकाश मोहन के भाई श्याम, जो पटना में व्यवसाय करते थे, घर आये तो सारी घटनाओं को सुने। श्याम ने प्रकाश मोहन को नजदीक के पुलिस थाने में मामले की रपट लिखवाने के लिए तैयार किया। प्रकाश मोहन के पड़ोसी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करना पैसा एवं समय की बर्बादी है। श्याम सबको समझाकर रपट लिखवाने हेतु मोहन को लेकर थाने चल पड़ा। प्रकाश ने श्याम से पूछा कि क्या थाने के कार्यक्षेत्र में हमारा गाँव आता है? श्याम-हां, प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र होता है। जिसमें हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि का केस (रपट) दर्ज करके, थाने का प्रशासन, पूछताछ,


जाँच-पड़ताल तथा कार्रवाई करता है। हमारा गाँव इस थाने के क्षेत्र में आता है।
प्रकाश मोहन तथा श्याम ने थाना पहुंचकर मामेला दर्ज कराया। थमनेदाऱ ने उन्हें उनके गाँव पहुंचकर घटना की जाँच-पड़ताल़ एवं कानून सम्मत कार्रवाई करने का व़्यदा किया।

## चर्चा करें

- क्या पुलिस थाना में सभी लोग अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं? शिक्षक से चर्चा कीजिए।
- क्या इस विवाद को सुलझाने का और भी कोई तरीका हो सकता था?
- ग्राम कचहरी क्या है? यह कैसे कार्य करती है?
- पुलिस के क्या-क्या काम हैं? सूची तैयार कीजिए।


## हलका कर्मचारी का काम :

आपने रामजी और प्रकाश मोहऩ के झगड़ा को जाना। क्या पुलिस थाना को छोड़कर भी इस समस्या का समाधान किंया जा सकता है? क्या कोई सभी लोगों के जमीन का अभिलेख रखता है? उनको रखने वाला कौन होता है?

गाँव के जमीन को नापना और् उसका अभिलेख रखना हलका कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। हमारे यहां जमीन का लेखा-जोखा रखने वाले कर्मचारी को हलका कर्मचारी कहते हैं। हलका कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार वह जमीन का रिकार्ड रखता है।

हलका कर्मचारी कें पास खेत नापने हेतुं लोहे की लंबी जंजीर होती है। इसे जरीब कहते हैं। रामज़ी तथा प्रकाश के झगड़े को हलका कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता था। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नापकर रामजी और प्रकाश के घर की जमीन को देख लेता, जिससे पता चल जाता कि कौन किसके तरफ की जमीन पर बढ़ रंहा है।

इसको निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है :

| न० | $\begin{aligned} & \text { हैत्र } \\ & \text { हेंक्टेयर में } \end{aligned}$ | जमीन सालिक का नास, फिता/ पति का नाम और पता | यदि बटाई पर है ताक दूसरे किस्सान का नाम | इस साल जोत की गई जमीन. |  |  | परती <br> जमीन | सुविधाएँ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | फसल | क्षेत्र | अन्य फसल |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0.15 | प्रकाश मोहन, <br> पिता राम दुखी | नहीं | धान | 0.15 |  |  |  |
| 2 | 0.30 | राम जी पिता सेवक जी | नहीं | धान | 0.25 | 0.05 |  | कुआँ-1 |
| 3 | 7.00 | बिहार सरकार की जमीन | नहीं | - | - |  | 7.00 | चारागाह |

स्थिति को देखकंर बतावें:
(क) प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है ?
(ख) रामजी और प्रकाश मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए।
(ग) प्लॉट संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है ?
(घ) प्लॉट संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या-क्या जानकारी हमें मिल सकती है ?
हलका कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेक़र जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। वह सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है।

किसान के फसलों का विवरण, कुआँ, नलकूप आदि का लेखा-जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बँटा हुआ है। जमीन का लेखा-जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखण्ड और अनुमण्डल में बाँटा गया है। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता (भूमि सुधार), अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हलका कर्मचारी होता है।

ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसानों को उनकी जमीन की नकल भी देते हैं। जनता कें आवश्यकता अनुरूप जाति, आय प्रमाण-पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमीन विवाद को सुलझाया जाता है।

> एक नया कानून
> (हिंदू अधिनियम धारा, 2005)

जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मदद्गार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा।

एक बिटिया की चाह
विरासत में मिला यह घर
पांपा को अपने पिता से
यही घर मिंलेगा मेरे भैया को मेंरे पिता से पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या ?
बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करतीं लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपनग बिलकुल मेरा अपना नहीं चाहिए


दहेज में रेशम और सोना।

## जया की कहानी

जया एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गाँव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बँटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ-साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मद्द से खेती का काम सँभालती है। जया भी इसी निश्चिततता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है।

सरकार के सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं, वे कई विभागों के द्वारा चलांये जाते हैं, जैसे- दुग्ध उत्पादक समिति, जन-वितरण प्रणाली, बैंक, बीज एवं खाद हेतु प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिलि (पैक्स), डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरंकारी स्कूल, प्राथ्नमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंद्रि। .

अपने इलाके की सार्वजनिक सेवाओं के बारे में ये तालिका भरें-

| सार्वजनिक सेचा | उदट़ श़ | निबम刀 | समस्याएं | गुवाए की तरीक |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| , |  |  | . |  |
|  |  |  |  |  |

## नगरों का स्थानीय शासन

शहर में भी जनसंख्या के आंधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद् (नगर पालिका ) तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। हमारे यहां केवल नगर निगम, नगर परिषद् (नगर पालिक़ा) तथा नगर पंचायत ही है। नगर परिषद् मध्यम स्तर के शहरों, जिनकी ज़संख्या चालीस हज़ार से दो लाख के बीच होती है वहां स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गाँव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए यह माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में आपने पहले पढ़ा है।

बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहरों मुज़फ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर में भी नगर निगम की स्थापना की गई है।

## प्रश्न -

1. शहर कैसे बनते हैं? आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें।
2. नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है? पता करें।

नगर निगम/ निगम परिषद् :
आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। नगर निगम को बेहतर रूप में समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही पटना सिंटी - नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी।

नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बाँटा गया है जिंसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर को 72 क्षेत्रों (वार्डों) में बाँटा गया है। सभी वार्डों से एक-एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव पाँच वर्षों के लिए होता है। निगम परिषद् अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही एक महापौर एवं एक उपमहापौर चुनते हैं।

महापौर निगम परिषद् का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद् की बैठक प्रत्येक माह होती है।
3. निगम परिषद् के काम करने के लिए अलग-अलग समितियाँ बनाई जाती हैं। जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि । नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त, नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। निगम परिषद् एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। उदाहरण के लिए पट्ना नगर निगम के कार्य इस प्रकार हैं-

1. जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य। जैसे-पानी की व्यवस्था।
2. सार्वजनिक सुविधा के कार्य। जैसे-सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि।
3. विकास संबंधी कार्य। जैसे-सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश
 व्यवस्था एवं वाहन ठहराव (पड़ाव) की व्यवस्था करना आदि।
4. शिक्षा संबंधी कार्य।


वृक्षारोपण
5. प्रशासनिक कार्य। जैसे-जन्म-मृत्यु पंजीयन आदि के कार्य।
6. आपातकालीन कार्य। जैसे-आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने के प्रयास करना ।
7. पर्यावरण सुरक्षा। जैसे-वृक्षारोपण एवं इसकी देखभाल करना।
8. झुग्गी-झोपड़ी, मलिन बस्ती का विकास कार्य आदि।
9. विविध कार्य। जैसे-ज़मीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना, वधशाला (बूचड़खाना) की
 व्यवस्था आदि।

इसी प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद् या नगर पंचायत बनाकर काम किया जाता है।

## प्रश्न -

1. पार्षद को चुनाव द्वारा क्यों चुना जाता है?
2. नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी के काम में क्या अंतर है?
3. अलग-अलग समितियाँ बनाने की ज़रूरत क्यों है?
4. क्या इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है? अपने इलाके के उदाहरण से समझाएँ।
5. ग्राम एवं नगर दोनों जगह वार्ड बनाये गए हैं। ऐसा क्यों? चर्चा करें।

## सूरत की कहानी

1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। उस वक्त सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों एवं होटलों का कूड़ा-कचरा पास की नालियों एवं सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा-कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऊपंर से नगर निगम अप़ना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गयी थी।

प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। परिणामस्वरूप सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में भारत के साफ शहरों में सूरत का नाम आता है।

## प्रश्न-

आपके आसपास के शहरों में सफाई की सुविधा कैसी है? आपस में चर्चा करें।

## आय के साधन :

इतने सांरे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग-अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ां भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। लोग जो 'कर' (Tax) देते हैं उसी से सरकार इस राशि को उपलब्ध करवाती है।

कुछ 'कर' ऐसे होते हैं जो नगर निगम खुद वसूलती है जैसे- होल्डिंग कर (गृह-कर, जल-कर, मल-कर आदि), पेशा-कर इत्यादि। इसके अलावा नगर निगम अपनी दुकानों से किराया भी वसूलती है। अतः नगर निगम के आय के साधन इस प्रकार हैं-

1. मकान एवं दुकान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर।
2. सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान।
3. अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जाने वाले शुल्क। जैसे-होर्डिंग, मोबाइल टॉवर आदिं पर लगाया जाने वाले शुल्क।
4. नगर निगम कर्ज़ भी ले सकती है।

## प्रश्न -

1. कर की आवश्यकता क्यों है?
2. पता करें कि नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत को लोगों द्वारा कर के रूप में आय उपलब्ध हो पाता है या नहीं?

## अभ्यास

1. अपने क्षेत्र या अपंने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किये गये किसी एक कार्य का उदाहरण दीजिये और उसके बारे में निम्न बातें पता कीजिए।
(i) यह का़ क्यों किया गया?
(ii) पैसा कहां से आया?
(iii) काम पूरा हुआ या नहीं?
2. पंचायत सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव और ग्राम-पंचायत के प्रमुख के कार्यों में क्या अन्तर हैं ?
3. गाँव में भूमि विवाद है लेकिन आपस में झगड़ा नहीं हों। इसके लिए इस विवाद को कैसे सुलझायेंगे? इसमें हलका कर्मचारी की क्या भूमिका होगी?
4. 'एक बिटिया की चाह' कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों?
5. नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में क्या अन्तर है?
6. नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और उसके कार्य क्या है?
7. एक ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा नगरीय क्षेत्र है, इनको आप किन-किन रूपों में अन्तर करते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें।
8. ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन का मुख्य कार्य क्या-क्या है? अपने अनुभव के आधार पर दो-दो उदाहरण दे, कर समझायें।
9. ग्राम पंचायत और नगर निगम के आय के कौन-कौन से साधन हैं, सूची बनायें।

## ゅ\%\%

## माजवचही रेलवे समनाए पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है।

. अपना वाहन समपार से 20 मीटर पहल याद चहे आपकी निन्दगी अभूल्य है
रोब दे।

- आने वाली रेल की आवाल/ हॉर्न ध्यान पूर्वक सुनें।
- दाई व काई ओर ध्यान से देखें।
- पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही वाहन पार करें।

|  | मानब रहित समपान्ट ल्यपख्वाही पूर्वक पार कहजा मोटर वाहन अधिनियमें की धारा 131 एवं रेलवे अधिणियम की धारा 161 के अन्तर्गत काणूलन्न अपराध है. जिसके लिए एक वर्घ का कारावास भी हो सकता है। |
| :---: | :---: |

